

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

धर्मान्तरण कराने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 04.02.2024 को वादी मुकदमा 30नि0 अमरनाथ पाण्डेय थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के तहरीर पर जनपद में धारा 144 C.R.P.C. निषेधाज्ञा लागू है इस बात की जानकारी होते हुए भी भी जानबुझ कर निषेधाज्ञा का खुले आम उलंघन किया जा रहा था कि उक्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 44/24 धारा 188,506 भा.द.वि. बनाम दिनेश कुमार पुत्र स्व0 बिरजू राम निवासी उदियांवा थाना बरदह आजमगढ़ व अन्य पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना गवाहो के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 06.02.24 को 30नि0 श्रीप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र स्व0 बिरजू राम निवासी उदियांवा थाना बरदह आजमगढ़ को समय 11.50 बजे उसके घर से प्रचार प्रसार की सामग्री के गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 44/24 धारा 188,506 भा.द.वि. व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दिनेश कुमार पुत्र स्व0 बिरजू राम निवासी उदियांवा थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1- प्रचार-प्रसार की सामग्री

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 44/24 धारा 188,506 भा.द.वि. व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. 30नि0 श्रीप्रकाश यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- कोतवाली

चोरी गये मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी सैयद रिजवान पुत्र सैय्यद फरहान निवासी फ्रेन्डस कालोनी, बदरका फ्लैट नं0 402 थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 4.2.2024 को समय 21.30 बजे वादी राजघाट नौ सैनिक के मकान पर काम पर था और उसकी मोटरसाइकिल होण्डा साइन गेट के बाहर खड़ी थी, जब वादी काम करके वापस आया तो उसकी बाइक किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गयी थी, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मु0अ0सं0- 74/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दर्ज है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 06.02.2024 को 30नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त विनय उपाध्याय पुत्र गोपाल उपाध्याय साकिन बड़ी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को चोरी गये मोटर साइकिल होण्डा साइन को समय 10.30 बजे बाग लखराव पुलिया से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 74/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विनय उपाध्याय पुत्र गोपाल उपाध्याय साकिन बड़ी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- एक मोटर साइकिल Honda Shine CB 125

आपराधिक इतिहास - मु0अ0सं0- 74/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 30नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय , कां0 विकास सरोज, कां0 अरूण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- जहानागंज
चोरी गये बकरे के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 05.02.2024 को वादी अनिल गोड़ पुत्र मंगरु गोड़ ग्रा0-किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि दिनांक 4/5.2.24 की रात अज्ञात चोरो द्वारा मेरे मकान की दीवार तोड़कर घर मे से लगभग 40 किलोग्राम का एक बकरा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 45/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. मोती लाल पटेल द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.02.2023 को उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विकास सिंह पुत्र फेकन सिंह r/o कैथीशंकरपुर ps देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 2. पुनीत सिंह s/o रणविजय सिंह r/o गदाईपुर थाना बहरीयाबाद गाजीपुर उम्र करीब 21 को चोरी गये बकरे के साथ अकबेलपुर मोड़ से समय 15.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.स. 45/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-विकास सिंह पुत्र फेकन सिंह r/o कैथीशंकरपुर ps देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
2-पुनीत सिंह s/o रणविजय सिंह r/o गदाईपुर थाना बहरीयाबाद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1- उ.नि. मोती लाल पटेल मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
चोरी गये साइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी मिनहाल अहमद S/O मोईन अहमद ग्राम शिवली रसीदगंज थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 27/1/2024 को ऊमा कम्प्युटर कोचिंग सेंटर पाण्डेय बाजार आजमगढ़ में अपने सायकिल से पढ़ने आया था साइकिल कोचिंग से बाहर खड़ी कर कोचिंग में पढ़ने चला गया। कोचिंग के पश्चात वापस आने पर वादी मुकदमा ने देखा कि अज्ञात द्वारा उसकी साइकिल चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 73/24 धारा 379 भादवि दर्ज है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 06.02.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र निषाद पुत्र बृजभान निषाद निवासी ग्राम सेहदा थाना कंधरापुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को समय 9.30 बजे सलमानी गली ब्रह्मस्थान से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , तथा कब्जे से चोरी की एक हरकुलिस पापूलर सिंघम साइकिल बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 73/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-जितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र निषाद पुत्र बृजभान निषाद निवासी ग्राम सेहदा थाना कंधरापुर जिला आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1-एक हरकुलिस पापूलर साइकिल बरामद

आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 73/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

पशु चोरी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 03 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 07.01.2024 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा मो0अरसलान अहमद पुत्र मो0 कादिर अहमद निवासी ग्राम जहिरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 06.01.2024 की रात्रि समय करीब 03 बजे अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर का दरवाजा तोड़कर भैस चुरा कर चले गये के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 05/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

जिसकी विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है, दौराने विवेचना अभियुक्त 1.अरशद शेख पुत्र मो0आविद ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. अरविन्द चौहान पुत्र बसावन चौहान निवासी ग्राम उमरी शेखपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.अशहद पुत्र नौशाद निवासी ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4.जाहिद पुत्र जियाउद्दीन निवासी चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 08.01.2024 को अभियुक्त 1.अरशद शेख पुत्र मो0आविद ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. अरविन्द चौहान पुत्र बसावन चौहान निवासी ग्राम उमरीशेखपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.अशहद पुत्र नौशाद निवासी ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी की भैस व एक पिकप व अभियुक्त अशहद के कब्जे से एक तमंचा गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त जाहिद पुत्र जियाउद्दीन निवासी चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गया था। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411भादवि की बढ़ोतरी की गयी। विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 06.02.2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जाहिद पुत्र जियाउद्दीन निवासी ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर के पास से समय करीब 09.50 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग---

1-मु0अ0सं0-- 05/2024 धारा 457/380/ भादवि बढ़ोतरी धारा 411भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:---

1. जाहिद पुत्र जियाउद्दीन निवासी ग्राम चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ करीब उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-- 05/2024 धारा 457/380/ भादवि बढ़ोतरी धारा 411भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. हे0का0वृजेश यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़